

## नष्क्रिय खातों और दावा न की गई जमाराशियों पर RBI के दशा-नरिदेश

### प्रलिस के लयि:

[भारतीय रज़िरव बैंक \(RBI\)](#), नष्क्रिय खाता, जमाकर्ता शक्तिषण और जागरूकता (DEA) नधि, [अपने ग्राहक को जानयि/नो योर कसटमर](#)

### मेन्स के लयि:

उपभोक्ता हतियों, बैंकगि क्षेत्र की रक्षा में RBI के उपाय

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

### चर्चा में क्यो?

[भारतीय रज़िरव बैंक \(RBI\)](#) ने हाल ही में वर्गीकरण तथा सकरयिण प्रक्रयिओं को सुव्यवस्थति करने के उद्देश्य से नष्क्रिय खातों (Inoperative Account) तथा अदावी/दावा न कयि गए जमा (Unclaimed Deposits) के संबंघ में दशा-नरिदेशों को संशोधति कयि है।

- संशोधति दशा-नरिदेश सभी [वाणजियिक बैंकों तथा सभी सहकारी बैंकों](#) पर लागू होंगे तथा 1 अप्रैल 2024 से करयिान्वति कयि जाँगे।

### नष्क्रिय खाते और अदावी जमा क्या हैं?

- नष्क्रिय खाता:**
  - दो वर्षों से अधिक समय तक कोई 'ग्राहक-प्रेरति लेन-देन' नहीं करने वाला खाता नष्क्रिय माना जाता है।
    - ग्राहक-प्रेरति वनिमिय, बैंक अथवा तीसरे पक्ष द्वारा खाताधारक के अनुरोध पर शुरू कयि गया अथवा पूरव में कयि गयन्नतितीय लेन-देन, एक गैर-वतितीय लेन-देन अर्थात प्रत्यक्ष रूप से अथवा डजिटिल माध्यमों जैसे इंटरनेट बैंकगि अथवा बैंक के मोबाइल बैंकगि एप्लिकेशन [अपने ग्राहक को जानयि \(Know Your Customer- KYC\)](#) के माध्यम से अपडेट हो सकता है।
  - नष्क्रिय बैंक खातों में लगभग **₹1-1.30 लाख करोड** जमा होने का अनुमान है।
- अदावी जमा:**
  - 10 वर्षों से नष्क्रिय** बचत/चालू खातों में जमा राशि अथवा परपिक्वता के 10 वर्षों के बाद दावा नहीं कयि गएसीयादी जमा (Term Deposit) को अदावी नकिषेप माना जाता है।
  - मार्च 2023 तक बैंकों में लगभग **₹42,270 करोड** अदावी थे।

### संशोधति RBI दशानरिदेश क्या हैं?

- वार्षिक समीक्षा:**
  - बैंकों को उन खातों की वार्षिक समीक्षा करनी चाहयि जनिमें **एक वर्ष से अधिक समय से कोई ग्राहक-प्रेरति वनिमिय नहीं हुआ** है।
    - सावधकि जमा को नवीनीकृत करने के स्पष्ट आदेश के अभाव में बैंकों को ऐसे खातों की समीक्षा करनी चाहयि।
    - ऐसी जमा राशियों को अन्कलेमड/दावा न कयि जाने (Unclaimed)** से बचाने के लयि, बैंकों को उन खातों की जाँच करनी चाहयि जहाँ उपभोक्ताओं ने परपिक्वता अवधपूरी होने पर अपनी आय की नकिासी नहीं की है या उसे अपने बचत या चालू खाते में स्थानांतरति नहीं कयि है।
- संचार प्रोटोकॉल:**
  - बैंकों को नरिदेश दयि गया है कयिे पछिले वर्ष में परचालन की कमी के बारे में **खताधारकों को पत्र**, ईमेल या SMS के माध्यम से **सूचति करें**।
  - यदि अगले वर्ष कोई परचालन नहीं होता है तो अलर्ट संदेशों में खाते की आसनन 'नष्क्रिय' स्थति स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहयि।
  - ऐसे मामलों में ग्राहकों को पुनः सकरयिण के लयि **नए KYC दस्तावेज़ जमा करने** होंगे।
- नष्क्रिय खातों के लयि वर्गीकरण मानदंड:**

- वर्गीकरण के लिये केवल ग्राहक-प्रेरति विनियम पर विचार किया जाता है, न कि बैंक-प्रेरति विनियम पर।
  - स्थायी निर्देश या बिना किसी अन्य पर्याचलन के स्वतः नवीनीकरण जैसे अधिदेशों को भी ग्राहक-प्रेरति विनियम माना जाता है।
  - बैंक-प्रेरति विनियम में भुगतान शुल्क, शुल्क, ब्याज भुगतान, जुर्माना और कर शामिल हैं।
- किसी खाते का नषिक्रयि खाते के रूप में वर्गीकरण, ग्राहक के किसी विशेष खाते के संदर्भ में होगा न कि ग्राहक के।
- नषिक्रयि वर्गीकरण से छूट:
  - सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और छात्रों के लिये खोले गए खातों (शून्य बैलेंस के साथ) को कोर बैंकिंग समाधान में पृथक किया जाना चाहिये।
    - यह सुनिश्चित करता है कि दो वर्ष से अधिक समय तक खाते का संचालन न होने के कारण 'नषिक्रयि' लेबल लागू नहीं किया जाएगा।
- पुनर्सक्रयिण प्रक्रयि:
  - नषिक्रयि खातों को पुनः सक्रयि करने के लिये KYC दस्तावेज़ जमा करना आवश्यक है। यह प्रक्रयि गैर-घरेलू शाखाओं सहित सभी शाखाओं पर लागू होती है।
    - खाताधारक द्वारा अनुरोध किये जाने पर वीडियो-ग्राहक पहचान प्रक्रयि (Video based Customer Identification Process - V-CIP) का उपयोग पुनः सक्रयिण के लिये भी किया जा सकता है।
    - नषिक्रयि खातों को सक्रयि करने के लिये किसी शुल्क की अनुमति नहीं है।
- दंड एवं ब्याज:
  - नषिक्रयि खाते के रूप में वर्गीकृत किसी भी खाते में न्यूनतम शेष राशि न बनाए रखने पर बैंक दंडात्मक शुल्क लगाने के लिये अधिकृत नहीं हैं।
  - सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और छात्रों के लिये खोले गए खातों (शून्य बैलेंस के साथ) को कोर बैंकिंग समाधान में अलग किया जाना चाहिये।
    - यह सुनिश्चित करता है कि दो साल से अधिक समय तक संचालन न होने के कारण 'नषिक्रयि' लेबल लागू नहीं किया जाता है।
  - बचत खातों पर ब्याज नियमिति रूप से जमा किया जाना चाहिये, भले ही खाता चालू हो या नहीं।
- जमाकर्त्ता शक्तिषा और जागरूकता कोष:
  - बैंकों में खोले गए किसी भी जमा खाते में क्रेडिट शेष, जो दस साल या उससे अधिक समय से संचालित नहीं है, को बैंकों द्वारा रजिस्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए जमाकर्त्ता शक्तिषा और जागरूकता (Depositor Education and Awareness- DEA) कोष में स्थानांतरित करना आवश्यक है।

## UPSC सविलि सेवा परीकषा, वगित वर्ष के प्रश्न

**[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:**

प्रश्न. यदि आर.बी.आई. प्रसारवादी मौद्रिक नीतिका अनुसरण करने का निर्णय लेता है, तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? (2020)

1. वैधानिक तरलता को घटाकर उसे अनुकूलति करना
2. सीमांत स्थायी सुवधि दर को बढ़ाना
3. बैंक दर को घटाना तथा रेपो दर को भी घटाना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

**[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:**

प्रश्न. क्या आप इस मत से सहमत हैं कि सिकल घरेलू उत्पाद की स्थायी संवृद्धति तथा निम्न मुद्रास्फीति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है? अपने तर्कों के समर्थन में कारण दीजिये। (2019)